संख्या-62/2023/001-1009-2497370-2023-12-5002-099-7-2022

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बा0हो0यो0/पी0के0वी0वाई0/295/2023-24, दिनांक 18.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 358.80 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रु0 315.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8906-नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई) के अनुसूचित जाति घटक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू० 202.22 लाख (रूपये दो करोड़ दो लाख बाइस हजार मात्र) राज्यांश अर्थात कुल धनराशि रू० 517.22 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्रह लाख बाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.08.2023 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
5. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। केन्द्रांश की उपलब्धता एवं द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 07.06.2022 सहित संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन धनराशि का व्यय करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402007890104 (नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत	27 सब्सिडी	1,74,00,000 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

		कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)		
2	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)	42 अन्य व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
3	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
	कुल			**3,15,00,000 (रुपये तीन करोड़ पंद्रह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2402007898906 (नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	083	2402007898906 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना	27 सब्सिडी	1,08,22,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख बाईस हजार मात्र)
2	083	2402007898906 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना	42 अन्य व्यय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
3	083	2402007898906 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		विकास योजना		
	कुल			**2,02,22,000** **(रुपये दो करोड़ दो लाख बाईस हजार मात्र)**
महायोग				5,17,22,000 (रुपये पांच करोड़ सत्रह लाख बाईस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-198-X-2023-24-दिनांक:13-9-2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-62/2023/001-1009-2497370-2023-12-5002-099-7-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।